संख्या-4/2019/3800/60-2-18-2/1(26)12

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 **जनवरी**, 2019

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के अपग्रेडेशन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1009/बा.वि.परि./अपग्रे0/2018-19 दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 4001.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ एक लाख मात्र) के सापेक्ष 24 जनपदों के 668 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल हेतु नये हैण्डपम्प निर्माण एवं 592 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नये शौचालय के निर्माण हेतु संलग्नक के अनुसार कुल धनराशि रू0 675.10 लाख (रू0 छः करोड़ पचहत्तर लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन जनपदवार अपग्रेडेशन कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के अपग्रेडेशन लागत के आधार पर किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत अपग्रेडेशन कार्य के लिए इसके पूर्व किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. अपग्रेडेशन कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा अपग्रेडेशन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
7. कार्य की प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
8. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।
9. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0127-आंगनवाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन (के060/रा040-के+रा)-25-लघु निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शासकीय पत्र संख्या-ई-4-17/दस/2019, दिनांक 14 जनवरी, 2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2019/3800(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के अपग्रेडेशन हेतु वित्तीय स्वीकृति

क्र.सं.	जनपद का नाम	पेयजल निर्माण		शौचालय निर्माण		कुल धनराशि (रु0 लाख में)
		संख्या	धनराशि रु0 60,000 की दर से (रु0 लाख में)	संख्या	धनराशि रु0 46,000 की दर से (रु0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बेडकर नगर	0	0.00	29	13.34	13.34
2	कन्नौज	8	4.80	0	0.00	4.80
3	चित्रकूट	31	18.60	42	19.32	37.92
4	महोबा	8	4.80	4	1.84	6.64
5	गोरखपुर	0	0.00	8	3.68	3.68
6	फतेहपुर	1	0.60	15	6.90	7.50
7	बहराइच	94	56.40	83	38.18	94.58
8	कुशीनगर	0	0.00	4	1.84	1.84
9	शाहजहाँपुर	27	16.20	27	12.42	28.62
10	सुल्तानपुर	21	12.60	9	4.14	16.74
11	उन्नाव	0	0.00	3	1.38	1.38
12	अलीगढ़	53	31.80	0	0.00	31.80
13	श्रावस्ती	126	75.60	16	7.36	82.96
14	फिरोज़ाबाद	0	0.00	7	3.22	3.22
15	ललितपुर	7	4.20	20	9.20	13.40
16	गौतमबुद्ध नगर	13	7.80	9	4.14	11.94
17	देवरिया	67	40.20	67	30.82	71.02
18	मेरठ	1	0.60	1	0.46	1.06
19	झाँसी	14	8.40	14	6.44	14.84
20	वाराणसी	65	39.00	75	34.50	73.50
21	बलरामपुर	132	79.20	159	73.14	152.34
22	बदायूँ	0	0.00	2	0.92	0.92
23	इलाहाबाद	0	0.00	1	0.46	0.46
24	कौशाम्बी	1	0.60	0	0.00	0.60
	योग	**668**	**401.40**	**592**	**273.70**	**675.10**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।